

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13
संख्या-1669 / सत्ताईस-13-2019-2/16टीसी 2
लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2019

नियुक्ति/विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2013 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को श्री राज्यपाल सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर वेतन बैंड रू0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रू0 5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उन्हें निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित उपखण्ड/खण्ड में तैनात करते हैं:-

क्र०	चयन का क्र०	नाम/पिता का नाम/सर्व श्री	जन्मतिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति हेतु पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	121	विनोद कुमार सैनी/पूरन सैनी	01.07.1970	25508	मेरठ	ए-105, एफ.एफ. अंसल टाउन, जटौली, पड़तापुर, बाईपास रोड, मोदीपुरम, मेरठ, 250110	ए-105, एफ.एफ. अंसल टाउन, जटौली, पड़तापुर, बाईपास रोड, मोदीपुरम, मेरठ, 250110	गुण नियंत्रण खण्ड रुड़की (द्वितीय उपखण्ड)

2- उक्त नियुक्तियां मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-2381/2019 निखिल उपाध्याय व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2611/2019 सत्य प्रकाश सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2879/2019 मो० वसीम रजा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2713/2019 रवीश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2982/2019 गौरव वर्मा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2612/2019 मुकुन्द कान्त शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2613/2019 देवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2615/2019 राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 3322/2019 हरीश कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 2811/2019 अरुण कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 841/2014 पंकज मौर्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-2811/2019 अरनव कुमार दत्त व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3- अभ्यर्थी श्री विनोद कुमार सैनी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के स्तर पर विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है। अतः उक्त अनुशासनिक कार्यवाही यथावत गतिमान रहेगी तथा यथा समय उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत निर्णय लिया जायेगा।

4- उक्त नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

5- यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताएं तत्काल समाप्त

3030 (04/11/19-2)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

6— उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7— अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

8— उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9— अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें।

10— सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित मण्डल/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उसके मूल प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ शासन तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे:—


- (1) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण पत्र।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
- (3) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

टी0 वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या - 1669 (1)सत्ताईस-13-2019 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-993/03/ई-4/2016-17, दिनांक 24.06.2019, पत्र संख्या-1097/03/ई-4/2016-17, दिनांक 11.09.2019 एवं पत्र संख्या-1129/03/ई-4/2016-17, दिनांक 15.10.2019 के संदर्भ में।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पंजीकृत डाक से)
7. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनुभाग-1
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(फूल चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठा-2 अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:जी-839/ई-2/नवनियुक्त सहा0 अभि0,


लखनऊ: दिनांक : 22 नवम्बर ,2019

शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश संख्या:1669/सत्ताईस-13-2019-2/16टी0सी0-2, दिनांक

21.11.2019 की छायाप्रति संलग्नकर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी/मा0 जल शक्ति राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0शासन, लखनऊ को शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश संख्या:1669/सत्ताईस-13-2019-2/16टी0सी0-2, दिनांक 21.11.2019 के संदर्भ में।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,
..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ मण्डलों/खण्डों को संलग्न सूची इस आशय के साथ अग्रसारित करें कि उन मण्डलों/खण्डों में तैनात किये गये नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं को उक्त शासकीय नियुक्ति/विज्ञप्ति दिनांक 21.11.2019 में उल्लिखित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश को वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ (ई-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई/ प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. महासचिव, उ0प्र0 सहायक अभियन्ता संघ/सिविल डिप्लोमा इन्जीनियर संघ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
11. चार्ट कीपर/कट फाइल हेतु (ई-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार


22/11/19
(यासीन खान)

स्टाफ अधिकारी (ई-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0 एवं ज0 सं0 वि0

